

शिकायत की प्रथम रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	महाराणा प्रताप मार्ग,सिरसी-कुंडा रोड,जयपुर
2.	संचालित स्कूल नाम निर्माणाधीन स्कूल का नाम	Teoler High School Teoler Unbounded International Curriculum School
6.	उल्लंघन की प्रकृति	कृषि भूमि पर बिना अनुमति ,बिना स्वीकृत मानचित्र अनुमोदित करवाए Teoler High School स्कूल का संचालन एवं Teoler Unbounded International Curriculum School का निर्माण
7.	सम्बंधित ज़ोन	ज़ोन-7
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी;श्री कैलाश चौधरी
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	13/01/2020

जवाब मांगते सवाल?

- क्या स्कूल संचालकों द्वारा विधिक रूप से संचालित एवं निर्माणाधीन स्कूलों का संस्थानिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
- क्या स्कूल संचालकों द्वारा जे.डी.ए. से स्कूल हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
- क्या स्कूल संचालकों द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
- क्या स्कूल संचालकों द्वारा भूखंडो की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
- क्या स्कूल संचालकों द्वारा भूखंडो का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
- इन बिलडिंगों के अवैध होने की स्थिति में जे.डी.ए. को व्यवसायिक रूपांतरण शुल्क,यू.डी. टेक्स,लीज मनी व अन्य शुल्कों के रूप में होने वाली राजस्व आय के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
- किस प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में **Teoler High School** बिलडिंग का निर्माण हुआ था और किसके कार्यकाल में **Teoler Unbounded International Curriculum School** का निर्माण चल रहा है?
- यदि जे.डी.ए. विनियमों के उल्लंघन के अनुसार यह बिलडिंग अवैध है तो क्या यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान मामले में दिए गए आदेशों की अवमानना नहीं है?